# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील डिक्री/टीए./2004/1783/टोंक**

मु. राधा पत्नि रामरतन जाति जाट निवासी भादू का खेड़ा तन दतोब तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।

**.....अपीलान्ट**

**बनाम**

1– गोपाल पुत्र बैजनाथ, जाति जाट निवासी भादू का खेड़ा तन दतोब तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक।

**...रेस्पोन्डेन्टस**

**खण्डपी–पीठ**
**श्री खजान सिंह, सदस्य**
**श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**

**उपस्थित :–**
श्री वी.पी. सिंह राजावत, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

**दिनांक : 06 मई, 2022**

## निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।

2– इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट मु. राधा ने रेस्पो. के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या–18/1997 इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के यहां पर साबिक खसरा नम्बर 2575 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा हाल खसरा नम्बर–2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर स्थित ग्राम दतोब के बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेटलमेन्ट ने आपसी समझौते के आधार पर जरिये नामान्तरकरण

संख्या–116 वादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया एवं सेटलमेन्ट ने कच्चा पर्चा जारी कर दिया, किन्तु प्रतिवादी वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करता है, इस कारण उसे दावा प्रस्तुत करना पड़ा। दावा में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर–2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये व प्रतिवादी गोपाल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये। उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर्ड किया गया तथा इसी भूमि बाबत रेस्पो. ने अपीलान्ट के विरूद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के यहां पर एक अन्य राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जो वाद संख्या–64/97 पर दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने दोनों वाद पत्रों को कन्सोलिडेट करते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–2003 द्वारा अपीलान्ट का दावा संख्या–18/97 डिक्री कर दिया तथा रेस्पो. का वाद संख्या–64/97 को खारिज फरमा दिया, जिसके विरूद्ध दो अपीलें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकरी, टोंक के यहां पर प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–7–2003 अपील संख्या–49/03 उनवानी गोपाल बनाम राधा का निर्णय करते हुये रेस्पो. की अपील स्वीकार करते हुये विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–2003 को निरस्त फरमा दिया तथ अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 22–7–2003 की सूचना प्रार्थीया के अभिभाषक ने प्रार्थीया को नहीं दी, जबकि उन्होंने यह कह रखा था कि जब भी निर्णय होगा उसे सूचना दे दी जायेगी। प्रार्थीया दिनांक 24–4–2004 को अपने मुकदमे की जानकारी करने अपने अभिभाषक के पास गयी तो उन्होंने बताया कि प्रकरण क फैसला दिनांक 22–7–2003 को हो गया है जिस पर प्रार्थीया ने निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिये दिनांक 22–4–2004 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिस पर दिनांक 27–4–2004 को नकल प्राप्त हुई, तत्पश्चात प्रार्थीया अपने गांव गयी और फीस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आई एवं वकील नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, देरी सद्भाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को जानकारी की तिथी से अन्दर मियाद शुमार किया जाकर देरी को क्षमा फरमायी जावे।

4– बहस उभय पक्ष अपील एवं धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित स्वविवेकीय निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप कर उसे निरस्त करने में अपने क्षेत्राधिकर का दुरूपयोग अनियमितता से किया है जो काबिल निरस्तीय है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के निर्णय व डिक्री दिनांक 25–3–2003 के विरूद्ध रेस्पो. ने दो अपीलें प्रस्तुत की थी किन्तु अपीलीय न्यायालय ने केवल एक ही अपील का निर्णय करते हुये अपीलान्ट का दावा निरस्त करने में भूल की है जबकि उनको दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ करना चाहिये था इसलिये अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है तथा रेस्पो. ने भू प्रबन्ध के दौरान ए.एस.ओ. के समक्ष स्वयं लिखित में सहमति देते हुये अपीलान्ट के पक्ष में तकासमा करवाया और इसी आधार पर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट के हक में कच्चा पर्चा जारी किया गया। इस कारण भू प्रबन्ध द्वारा पक्षकारान की लिखित सहमति के आधार पर दर्ज की गयी खातेदारी एवं नामान्तरकरण संख्या–116 अन्तिम हो चुका है जिसे नहीं समझकर निर्णय प्रदान करने में भूल की है। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों, कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर परीक्षण न्यायालय द्वारा परित निर्णय को निरस्त करने में भूल की है इस कारण अपील न्यायालय का निर्णय आदेश–41 नियम–31 सीपीसी में प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–7–2003 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25–3–2003 बहाल रखा जाकर वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री फरमाया जावे। उन्होंने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी। जब उन्हें सूचना मिली तो अपील प्रस्तुत कर दी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक है जिसे शमित करने का निवेदन किया।

6– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अपील लगभग 19 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और इस विलम्ब का कोई स्पष्ट व तार्किक कारण नहीं प्रकट होता है इसलिये अपील मियाद बाहर होने के कारण इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। अपील पर बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी गोपाल साबिक खसरा नम्बर–2575 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा भूमि उसकी खातेदारी में थी। भू प्रबन्ध के बाद इस खसरा नम्बर के दो खसरा नम्बर क्रमशः 2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर व खसरा नम्बर–2643 रकबा 4.57 हैक्टेयर बने और उक्त दोनों ही खसरा नम्बर उसी की खातेदारी में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग की प्रक्रिया के दौरान जो तथाकथित सहमति पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या–116 व 163 तसदीक होना दर्शाया गया है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियों को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना तनकीवार विश्लेषण किये प्रत्यर्थी का वाद खारिज कर एवं अपीलान्ट का वाद डिक्री कर त्रुटिपूर्ण निर्णय किया है जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22–7–2003 द्वारा निरस्त कर विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है, जो पोषणीय है। द्वितीय अपील सारहीन होने के काराण उन्होंने इसे निरस्त करने का निवेदन किया।

7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

8– अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब शमित किया जाता है।

9– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने एक वाद संख्या–18/97 बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 ने एक वाद संख्या–64/97 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने

समेकित कर दिया। दोनों वादों में पृथक पृथक तनकियां बनाई गई लेकिन परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार विश्लेषण नहीं किया और विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर–2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 2575 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा से बना है पर प्रत्यर्थी संख्या–1 का नाम कलमजन कर अपीलान्ट को खातेदार घोषित कर दिया एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 का दावा निरस्त कर दिया।

10– राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2031–2034 ग्राम दतोब तहसील टोडारायसिंह के अनुसार साबिक आराजी खसरा नम्बर–2575 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा पर मु. दाखाजोजे बैजनाथ कौम जाट साकिन किशनपुरा मजरादेह दर्ज है। इसी जमाबन्दी में विशेष विवरण में लाल स्याही से नामन्तरकरण संख्या–375 से आराजी खसरा नम्बर 2575 रकबा 33 बीघा 17 बिस्वा गोपाल पुत्र बैजनाथ के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार संवत 2031–2034 में प्रत्यर्थी संख्य–1 गोपाल पुत्र बैजनाथ विवादित भूमि पर खातेदार दर्ज हो गया। जमाबन्दी संवत 2039–2042 में भी उक्त आराजी गोपाल पुत्र बैजनाथ की खातेदारी में दर्ज थी। भू प्रबन्ध प्रक्रिया के दौरान साबिक खसरा नम्बर–2575 से हाल खसरा नम्बर–2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर व 2643 रकबा 4.57 हैक्टेयर बने। जमाबन्दी संवत 2050 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–2642 रकबा 4.04 हैक्टेयर व 2643 रकबा 4.57 हैक्टेयर पर गोपाल पुत्र बैजनाथ खातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या–1 भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पूर्व विवादित भूमि पर खातेदार था एवं भू प्रबन्ध विभाग के बाद भी वह खातेदार दर्ज था। अपीलान्ट का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं था और ना अब है। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने जो निष्कर्ष अपने निर्णय दिनांक 25–3–2003 में अंकित किये हैं वे तथ्यों व विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिये न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह का उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य था जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 22–7–2003 द्वारा निरस्त करके विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय पारित किया है। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय में प्रत्येक तथ्य, बिन्दु व विधि के प्रावधानों का विस्तृत विवेचन किया है। अतः आलोच्य निर्णय विधिसम्मत होने के कारण पोषणीय है।

11– अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 22–7–2003 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( हरि शंकर गोयल )**
**सदस्य**

**( खजान सिंह )**
**सदस्य**